रामपाल / इन्दरपाल

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
3.9.20	कार्यालय प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अपील दर्ज रजिस्टर हो। विद्वान वकील अपीलांट को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दि0 5.8.2020 का अवलोकन किया। इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि यह आदेश किसी न्यायालीय आदेश की परिभाषा मे नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उनके द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के सन्दर्भ मे प्रशासनिक आदेश दिया है। अतः अपीलाधीन आदेश न्यायालीय आदेश नहीं होने के कारण अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अपीलांट को सलाह दी जाती है कि वो तहत न्यायालय में प्रा. पत्र पेश करके नियमानुसार चाराजोई करें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] 3/9/20 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर	